



2026:AHC:124323

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 18878/2026

अंकित गुप्ता

....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

....विपक्षीगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : सुनील कुमार दुबे
प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार दुबे, प्रथम सूचनादाता की ओर से (आज दायर उपस्थिति पर्चा पर) विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव द्विवेदी तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री आनन्द प्रताप सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वाद अपराध संख्या 0031 वर्ष 2026, धारा 137(2), 87, 70(2), 123 एवं 351(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(जी)/6 के अंतर्गत, थाना कोरांव, जनपद प्रयागराज में पंजीकृत वाद में विचारण की अवधि के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश पारित किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक प्रथम सूचनाकर्ता की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। तत्पश्चात्

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पीड़िता का कथन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत अभिलेखित किया गया, जिसमें उसने कहा कि वह अपनी इच्छा से आवेदक के साथ घर से गई थी तथा दोनों लगभग 15 दिनों तक दिल्ली में पति-पत्नी के रूप में साथ रहे, एक जीन्स फैक्ट्री में कार्य किया तथा उनके मध्य दो अवसरों पर शारीरिक संबंध भी स्थापित हुए। यह भी निवेदन किया गया है कि इसके पश्चात् पीड़िता का कथन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत भी अभिलेखित किया गया, जो पूर्णतः अस्पष्ट एवं अविश्वसनीय प्रकृति का है, जिसमें उसने कहा कि जब वह विद्यालय जा रही थी, तब आवेदक उससे मिला और उसे एक लड्डू खिलाया, जिसे खाने के बाद वह अचेत हो गई तथा होश आने पर स्वयं को दिल्ली में पाया। अतः उक्त कथन विश्वास करने योग्य नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अभिलेखित कथन से स्पष्ट है कि पीड़िता स्वयं अपनी इच्छा से आवेदक के साथ घर से गई थी तथा पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट भी आवेदक द्वारा बलात्कार किए जाने के अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं करती है। इतना ही नहीं, पीड़िता स्वयं अपने घर वापस लौट आई थी। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक की आयु लगभग 19 वर्ष है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वर्तमान वाद में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, अतः अब आवेदक से अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता शेष नहीं है। आवेदक दिनांक 26.02.2026 से निरंतर कारागार में निरुद्ध है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का किसी प्रकार का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का प्रबल विरोध किया, तथापि उपर्युक्त तथ्यों का खंडन करने में असमर्थ रहे।

5. वाद के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अभियोग की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्यों तथा अभियुक्त की कथित संलिप्तता पर विचार करने के उपरांत, साथ ही विचारणाधीन कारागारों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक वादों की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुए तथा जमानत प्रदान किए

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन सर्वोच्च न्यायालय 3038, तथा इस न्यायालय द्वारा माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों एवं दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, तथा वाद के गुण-दोष के संबंध में कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। तदनुसार, वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किया जाता है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक अंकित गुप्ता को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन समान धनराशि के दो सक्षम जमानतदारों एवं एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किए जाने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए तथा वह साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/अन्वेषण में पूर्ण सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात् किसी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध में संलिप्त नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।

7. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक तथा उसके जमानतदारों की पहचान, हैसियत एवं निवास संबंधी अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा।

9. संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक तथा उसके जमानतदारों के मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का भी सत्यापन किया जाएगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विचारण न्यायालय, जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से रिहाई आदेश संबंधित कारागार को प्रेषित करेगा।

11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति **संबंधित कारागार अधीक्षक** के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल के जरिए आवेदक को तथा ई-माध्यम के द्वारा विचारण न्यायालय को 24 घंटे के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करे, ताकि जमानत प्रदान किए जाने संबंधी नीति रणनीति, स्वप्रेरणा से संज्ञानित रिट याचिका (आपराधिक) संख्या-4 सन् 2021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2023 को पारित निर्णय, जो (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रकाशित है, तथा पिला पाहन उर्फ पीला पाहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या-169 वर्ष 2025, निर्णय दिनांक 29.05.2026 में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

दिनांक: 1 जून, 2026

एस.सी.

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।